न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—61/2019/223 (2019/00061)

1. देवराज पुत्र पोखर,
2. छोटू पुत्र पोखर,

समस्त जाति चमार, निवासी ग्राम कोटड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर दिनांक 30.1.2019 अंतर्गत वाद संख्या 13/2000 (नवीन 26/2017).

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांटस।
2. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 11.9.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.1.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की मौरूसी पुश्तैनी कृषि भूमि जिसके खसरा नंबर पुराना 28 नया 54 रकबा 1 बीघ्झा 1 बिस्वा व खसरा नंबर पुराना 29 नया 55 रकबा 11 बिस्वा जो कि ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसके खातेदार पोखर पुत्र मोती चमार थे, जिनका इंद्राज खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से लगायत 2018 के कॉलम संख्या 5 व 6 में दर्ज है । पोखर वादीगण के पिता थे जिनका स्वर्गवास हो जाने के कारण उक्त आराजी पुनः विरासत में प्राप्त हुई व निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजियात के वादीगण कानूनन खातेदार है । उक्त आराजियात खसरा नंबर पुराना 28 जिसका राजस्व रिकार्ड में किस्म नाडी एवं खसरा नंबर पुराा 29 जिसको राजस्व रिकार्ड में किस्म पाल दर्शाई गई है जबकि उक्त आराजियात आज दिवस तक बारानी होकर समतल भूमिया है जिस पर पोखर के जीवनकाल तक एवं उसके पश्चात् वादीगण काबिज काश्त है । पोखर का देहांत होने के बाद से वादीगण

विवादित आराजियात पर निर्बाधा काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु अजमेर जिले में अधिकाशंतः पानी की कमी होने के कारण भूमि पर एक फसल ही काश्त की जाती है । संवत् 1365 फसली के अनुसार पोखर पुत्र मोती की खुदकाश्त मालिक का इंद्राज रिकार्ड में है तथा बाजरे व मूंग की फसल काश्त किया जाना दर्शाया है । राजस्व अधिकारियों ने दौराने भू–प्रबधं बिना किसी अधिकार व आधार के उक्त आराजियात को बिना वादीगण को सूचित किये सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजियात वादीगण के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था। उक्त इंद्राज की आड़ में राजस्व कर्मचारी द्वारा वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही प्रारंभ करने पर उसे राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रेस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.1.2019 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने राज0काश्त0अधि0 एवं जा0दी0 प्रकिया संहिता में प्रावधित प्रावधानों एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअदांज कर दिया कि वादी/अपीलांट के पिता पोखर राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रश्नगत आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे थे एवं संवत् 2012 में प्रश्नगत आराजियात पर निरन्तर काबिज काश्त चले आने का इंद्राज प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 में दर्ज है । चूंकि अजमेर में राज0काश्त0अधि0 1958 में लागू किया गया था । ऐसी स्थिति में बरवक्त अधि0 लागू होने के समय पोखर का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज था इसलिये वह प्रश्नगत आराजी के राज0काश्त0अधि0 में प्रावधित अनुसार स्वतः ही खातेदार हो चुके थे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजियात कभी भी पाल अथवा डूब क्षैत्र की नहीं रही बल्कि समतल भूमि होकर बारानी है जिस पर वर्ष में एक बार काश्त की जाती है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध करने में त्रुटि कारित की है । उक्त तनकी में वादीगण को मात्र यह सिद्ध करना था कि उक्त आराजियात पर पुश्तैनी काबिज होने से वह खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी ने राजस्व रिकार्ड प्रदर्श–1, 2, 4 प्रस्तुत किये एवं मौखिक साक्ष्य से प्रश्नगत आराजियात पर अपना कब्जा काश्त साबित कराया था । राज्य सरकार की मंशा के अनुसार भी ऐसे छोटे भू–भाग पर यदि किसी व्यक्ति का निरन्तर कब्जा है तो उसे उक्त आराजियात नियमन की जा सकती है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त स्थिति को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु 4 तनकियात कायम की है किन्तु आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य, सबूतों का विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र तनकी संख्या 1 को निर्णित करते हुए शेष तनकियात पर बिना विवेचन किये निर्णय पारित किया है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के

विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी की किस्म नाड़ी व पाल है जो पानी के नीचे डूब क्षैत्र में स्थित है तथा यह आराजी नगर परिषद के पैराफेरी क्षैत्र में भी है जिससे विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नंबर 28 नया 54 रकबा 1–1–00 बीघा तथा खसरा नंबर पुराना 29 नया 55 रकबा 00–11–00 बीघा पर पुश्तैनी कब्जा काश्त होने का कथन कर खातेदारी का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित चार तनकियात कायम की है । तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलांट पर था । उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु वादीगण/अपीलांट ने खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018, खसरा संवत् 1365 फसली, जमाबंदी संवत् 2040–41 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये । इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का के बयान कराये तथा वर्किंग जमाबंदी पेश की जिसके अनुसार विवादित भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 124 दिनांक 16.3.2004 के अनुसार सिवायचक से नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज की गई है । वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नंबर 28 की किस्म नाड़ी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा पुराने खसरा नंबर 29 रकबा 11 बिस्वा की किस्म पाल दर्ज है । उक्त दानों आराजियात खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 में बिलानाम दर्ज होकर लगातार पड़त दर्ज है । 1365 फसली में पुराने खसरा नंबर 28 के नये नंबर 54 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म नाडी पानी के नीचे डूब अंकित है एवं पुरासने खसरा नंबर 29 नये 55 रकबा 11 बिस्वा किस्म पाल होकर दोनों खसरा नंबर सरकारी खाते में दर्ज है। इन दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया साबित है कि विवादित आराजियात राज0काश्त0अधि0 1955 दिनांक 15.6.1958 को प्रभाव में आने के समय अपीलांटस की कोई काश्त दर्ज नहीं थी तथा न ही वादीगण कृषक, उपकृषक खुदकाश्त ही दर्ज रहे है । राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात नाड़ी एवं पाल के रूप में दर्ज होने से धारा 16 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार ऐसी भूमियों की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । वादीगण/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे है । जब तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार विवादित आराजियात की किस्म नाड़ी एवं पाल दर्ज है तथा ऐसी भूमियों की धारा 16 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है तो अन्य तनकियात के संबंध में भी वादीगण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.1. 2019 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 11.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर